

# न्यूज़ टुडे

## पंद्रहवें वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission: FFC) की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई

- वित्त आयोग (Finance Commission: FC) एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन केंद्र-राज्यों के परस्पर वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। FFC को दो रिपोर्टें अर्थात् वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम रिपोर्ट और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया था।
- FFC के विचारार्थ विषयों में कई क्षेत्रों यथा- विद्युत क्षेत्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को अपनाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि में राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (performance incentives) और साथ ही, रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा हेतु वित्तपोषण तंत्र की अनुशंसा करना शामिल हैं।

मुख्य अनुशंसाएं:

लंबवत हस्तांतरण (Vertical devolution)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● संघीय करों की निवल आय का 41% राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। वर्तमान में निवल आय का 42% राज्यों के साथ साझा किया जाता है।</li> <li>● नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए संघीय करों की निवल आय के 1% के बराबर वित्तीय संसाधनों को संरक्षित रखा जाना चाहिए।</li> </ul>
क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal devolution)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● करों का क्षैतिज हस्तांतरण या क्षैतिज वितरण करों के विभाज्य पूल से प्रत्येक राज्य के वे हिस्से हैं, जो उन्हें वितरित किए जाते हैं।</li> <li>● आवश्यकता, समता और प्रदर्शन के सिद्धांतों के आधार पर समग्र वितरण सूत्र निम्नानुसार है: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; आय अंतर (45%) जनसांख्यिकी प्रदर्शन (12.5%), जनसंख्या (15%), क्षेत्र (15%), वन और पारिस्थितिकी (10%) तथा कर व राजकोषीय प्रयास (2.5%)।</li> </ul> </li> </ul>
स्थानीय निकाय अनुदान (Local Bodies Grant)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरण का अनुपात प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रहा है। यह वर्ष 2021-22 में 67:33 से वर्ष 2025-26 के अंत तक उत्तरोत्तर 65:35 होता प्रतीत हो रहा है।</li> <li>● अनुदान प्राप्त करने हेतु स्थानीय निकायों के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों का प्रस्ताव: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; राज्यों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना, उनकी अनुशंसाओं पर कार्य करना आदि।</li> <li>&gt; सार्वजनिक प्रक्षेत्र में अनंतिम और अंकेक्षित दोनों लेखाओं का ऑनलाइन होना।</li> <li>&gt; संबंधित राज्य द्वारा संपत्ति कर की दरों के लिए न्यूनतम स्तर (floor) का निर्धारण।</li> </ul> </li> <li>● 1 मिलियन (10 लाख) (मिलियन-प्लस शहरों) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए, मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड के माध्यम से 100% अनुदान प्रदर्शन आधारित है।</li> <li>● ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60% हिस्सा, आधारभूत सेवाओं की दो श्रेणियों के वितरण से अनुबंधित होना चाहिए: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; स्वच्छता, खुले में शौच (ODF) स्थिति को बनाए रखना (ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व स्टार रेटिंग प्राप्त करना, जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विकसित किया गया है (गैर मिलियन प्लस शहरों/श्रेणी-II शहरों/कस्बों के लिए);</li> <li>&gt; पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए)।</li> </ul> </li> </ul>
राजकोषीय समेकन के लिए रोडमैप (Fiscal Consolidation roadmap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● संघ और राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा ऋण मार्ग के लिए प्रदान की गई सीमा।</li> <li>● राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को व्यापक रूप से पुनर्संरचित करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह अनुशंसा की गई है कि ऋण संधारणीयता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय-सारणी की जांच एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जा सकती है। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; यह उच्चाधिकार प्राप्त समूह नए FRBM ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है।</li> </ul> </li> <li>● राज्य सरकारों द्वारा अपने ऋण कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।</li> <li>● विद्युत क्षेत्र में सुधारों में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त ऋण विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए।</li> <li>● वार्षिक विनियोग की एक सीमा राशि तय की जानी चाहिए, जिसके नीचे केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) का वित्तपोषण रोका जा सके।</li> </ul>
स्वास्थ्य (Health)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● राज्यों द्वारा स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2022 तक उनके बजट के 8% से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए।</li> <li>● शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs), भवनरहित उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता आदि हेतु स्वास्थ्य अनुदान कुल मिलाकर 70,051 करोड़ रुपये है।</li> <li>● निर्धारित अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल अनुदान सहायता पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान सहायता का 10.3% है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान शर्तहीन होगा।</li> </ul>
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा (Defense and Internal Security)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं एवं बजटीय आवंटन के मध्य अंतर को कम करने के लिए भारत के लोक लेखे में एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि के रूप में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS) गठित किया जाना चाहिए।</li> </ul>
आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन निधि (Mitigation Funds) की स्थापना की जानी चाहिए। <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; शमन निधि का उपयोग उन स्थानीय स्तरों और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाना चाहिए, जो जोखिम को कम करते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों व आजीविका संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।</li> </ul> </li> </ul>

## सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (Mega Investment Textiles Parks: MITRA) योजना प्रारंभ करने की घोषणा की

- इस योजना के अंतर्गत, विश्व स्तरीय अवसररचना के साथ 7 टेक्सटाइल पार्क और आगामी 3 वर्षों में प्लग-एंड-प्ले (आसान उपयोग आधारित) सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
  - > पार्कों में निर्बाध जल और विद्युत आपूर्ति, साझा उपयोगिताओं (कॉमन यूटिलिटी) तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की स्थापना को लक्षित किया गया है।
- यह योजना वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, व्यापक निवेशों को आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।
  - > भारत के वस्त्र उद्योग ने वित्त वर्ष 2015 में औद्योगिक उत्पादन में 13% का योगदान दिया था। इसने सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान दिया है और वित्त वर्ष-2020 में 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया था। वित्त वर्ष 2015 में भारत की निर्यात आय में इस क्षेत्र का योगदान 12% था।
- वस्त्र उद्योग के समक्ष चुनौतियां: असंगठित बुनाई क्षेत्र, अनुसंधान और नवाचार पर अल्प ध्यान, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी उन्नयन, निम्न उत्पादकता और स्वचालन स्तर, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों से प्रतिस्पर्धा इत्यादि।
- वस्त्र क्षेत्र के लिए की गई अन्य पहलें:
  - > स्वचालित मार्ग के तहत क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
  - > विशिष्ट वस्त्र उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है।

- भारत को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** आरंभ किया गया है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Upgradation Funds Scheme) संचालित की जा रही है।
- अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना** (Scheme for Integrated Textile Parks) आरंभ की गई है।


## सरकार ने अवसंरचना वित्तपोषण के प्रोत्साहन हेतु विकास वित्त संस्थान (Development Financial Institution: DFI) की स्थापना की

- बजट 2021-22 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अवसंरचना वित्तपोषण हेतु **20,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ विकास वित्त संस्थान (DFI)** की स्थापना की घोषणा की गई है।
  - यह अपेक्षित है कि DFI के पास तीन वर्ष में 5 लाख करोड़ का ऋण पोर्टफोलियो होगा।
  - NIP का उद्देश्य परियोजना संबंधी तैयारियों में सुधार करना व बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। साथ ही, यह वित्त वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण होगा।
- DFI मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों या उप-क्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित या सहायता प्राप्त एक संस्था है। **नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)** आदि भारत के कुछ प्रमुख DFI हैं।
  - DFI आर्थिक संवृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, जो वाणिज्यिक संस्थानों (उदाहरणार्थ बैंक) में नहीं होती है।
  - यह दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण की लागत को कम करेगा।
  - DFI भी क्षेत्र-विशेष वित्त प्रदान कर सकते हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करेंगे।
- सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के लिए वित्त पोषण को प्रोत्साहन हेतु तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:
  - **संस्थागत संरचनाओं का निर्माण** (जैसे DFI)।
  - **परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण पर ध्यान केंद्रित करना** (एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति मौद्रिकरण पाइपलाइन की योजना निर्मित की जा रही है)।
  - **केंद्र और राज्यों के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाना।**

## संघीय बजट 2021-22: भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission: NHEM) प्रारंभ किया

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM) को हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए आरंभ किया जाएगा।
- नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत-अपघटन (electrolysis) से हरित (ग्रीन) हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
  - पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन जल में ऑक्सीजन के साथ और जीवित या मृत व/या जीवाश्म बायोमास में कार्बन के रूप में पाई जाती है। इसे जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर निर्मित किया जा सकता है। हाइड्रोजन का पुनः उपयोग करके जल भी फिर से बनाया जा सकता है।
  - वर्तमान में, वैश्विक हाइड्रोजन का क्रमशः प्राकृतिक गैस से 48%, तेल से 30% और कोयले से 18% उत्पादन किया जाता है; जबकि जल के विद्युत-अपघटन से मात्र 4% ही हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- पारंपरिक ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन के लाभ: बहुतायत उपलब्धता, उच्च ऊर्जा घनत्व, बेहतर दहन विशेषताएं, गैर-प्रदूषणकारी प्रकृति आदि।
- इसके अनुप्रयोगों में शामिल हैं: ईंधन सेल वाहन, H2 हाइब्रिड वाहन, विद्युत उत्पादन, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, रिफाइनरी आदि।
- इसके समक्ष चुनौतियां: हाइड्रोजन का उत्पादन ऊर्जा गहन है तथा साथ ही, इसका भंडारण और परिवहन भी कठिन है। इसके अतिरिक्त, विद्युत-अपघटकों (इलेक्ट्रोलाइटर), मानकों और संहिताओं की कमी आदि अन्य समस्याएं हैं।
- हाइड्रोजन विकास के लिए किए गए अन्य उपाय:
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप (वर्ष 2006)।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित हाइड्रोजन और ईंधन सेल कार्यक्रम।
  - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने बायोमास गैसीकरण-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है।

### BENEFITS OF USING HYDROGEN



## अन्य सुर्खियाँ

<p><b>राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन परियोजना (National e-Vidhan Application (NeVA) project)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ NeVA (कागज़-रहित विधानसभा या ई-विधानसभा) वस्तुतः एक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा।           <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ई-विधान को पुनः NeVA के रूप में नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में NeVA को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है।</li> <li>➤ ई-विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है।</li> </ul> </li> <li>○ NeVA का लक्ष्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना है, ताकि विभिन्न एप्लीकेशंस की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके।</li> <li>○ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने NeVA परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है।</li> </ul>
<p><b>स्टारडस्ट 1.0 (Stardust 1.0)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह एक प्रक्षेपण यान है, जो अंतरिक्ष में क्यूबसैट्स (cubesats) नामक छोटे उपग्रहों को प्रेक्षित करने के लिए उपयुक्त है।           <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ हाल ही में, इसे अमेरिका स्थित स्टार्टअप, ब्लूशिफ्ट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था।</li> </ul> </li> <li>○ यह जैव ईंधन (biofuel) द्वारा संचालित प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट ईंधन के विपरीत जैव ईंधन का प्रयोग होने के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।           <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है और परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>पट्टचित्र चित्रकला (Pattachitra paintings)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। चित्रकला की यह पट्टचित्र शैली ओडिशा की सबसे प्राचीन कला शैलियों में से एक है।</li> <li>○ पट्टचित्र, एक चित्र होता है जिसे वस्त्र के एक टुकड़े पर चित्रित किया जाता है। यह चित्रकला रंगों के समृद्ध अनुप्रयोग, रचनात्मक रूपांकनों और डिजाइनों तथा अपने चित्रण के अधिकांश रूपों में सरल विषयों, विशेषतः पौराणिक कथाओं के चित्रण द्वारा प्रकट होती है।</li> <li>○ यह कला शैली श्री जगन्नाथ संप्रदाय और पुरी में स्थित मंदिर परंपराओं के साथ निकटता से संबंधित है।</li> </ul>